हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय परिसर में मेस संचालन हेतु निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र

नया रायपुर, दिनांक 26.05.2017

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथिः 27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
पूरित किये गये प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 29.06.2017, प्रातः 11.00 बजे
स्थान – विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर–492002

टेंडर फार्म मूल्य – रु.5000/–

(कुल पन्ने की संख्या – 16 पृष्ठ)

नोटः– निविदाकर्त्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करें।

–:: विश्वविद्यालय परिसर में मेस संचालन हेतु निविदा प्रपत्र ::–

कार्य का विवरण :– **नया रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित छात्रों एवं छात्राओं के पृथक–पृथक छात्रावासों में लगभग 950 विद्यार्थियों एवं 50 अन्य कुल लगभग 1000 लोगों को प्रतिदिन प्रातः कालीन एवं संध्याकालीन नाश्ता तथा दो समय का भोजन प्रदाय किया जाना है।**

अमानत राशिः– **रू.5,00,000/– (रुपये पॉच लाख) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो ।**

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	:	27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
पूरित किए गए निविदा प्रपत्र जमा करने की: अंतिम तिथि	:	28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	:	29.06.2017, प्रातः 11.00 बजे
स्थान	:	विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर–492002 (छ.ग.)

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक एवं पात्र निविदाकारों से मेस संचालन हेतु **द्वि–निविदा पद्धति (पृथक–पृथक तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पद्धति)** से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफों के उपर स्पष्ट रूप से **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा** एवं **निविदाकार का नाम** अंकित किया जाना अनिवार्य है। बाहरी लिफाफे पर ''**हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2017–18 में मेस संचालन हेतु निविदा**'' अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस पद्धति का अनुपालन नहीं करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

2. निर्धारित पद्धति का अनुपालन कर जमा की गई निविदाओं को नियत तिथि, समय एवं स्थान पर खोला जाएगा। सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा खोलकर विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जाएगा। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी निविदाएं निविदा शर्तों के अनुकूल योग्य पाई गई हों।

3. निविदा की दर न्यूनतम होने पर ही ठेका मंजूर किया जाना आवश्यक नहीं होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

4. ऐसे निविदाकार जिन्हें केवल कैफेटेरिया (नाश्ता एवं कोल्डड्रिंक इत्यादि प्रदाय) संचालन करने का अनुभव है उनकी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

5. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. मेस संचालन निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रू.5,00,000.00 (रूपये पॉच लाख मात्र) जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना है।

7. सफल निविदाकार को रु.7,50,000/– (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) की प्रतिभूति राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि रु.5,00,000/– (रुपये पॉच लाख मात्र) प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

8. निविदाकार जिन्होंने पूर्व में विश्वविद्यालय में मेस संचालन का कार्य लिया है किन्तु उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं रही हैं, ऐसे निविदाकारों की निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

9. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी स्वीकृति के उपरांत निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

10. मेस का ठेका प्रारंभिक तौर पर 01 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसे वार्षिक कार्य के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। कालावधि में ऐसा विस्तार अधिकतम तीन वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

11. ठेके की प्रारंभिक कालावधि समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय, निविदाकार को मेस संचालन हेतु कालावधि में विस्तार प्रदान करते समय मेस की मासिक दर में प्रत्येक वर्ष वृद्धि प्रदान कर सकेगा। इस दर वृद्धि का प्रतिशत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह दर वृद्धि विश्वविद्यालय मेस में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक खाद्य–वस्तुओं एवं भोजन तैयार करने वाली सामग्रियों

में मूल्य–वृद्धि होने को दृष्टिगत रखते हुए की जा सकेगी किन्तु निविदाकार इसका दावा अधिकार स्वरूप नहीं कर सकेगा एवं न ही मेस में तैयार की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा से किसी प्रकार का समझौता/कटौती करेगा। दर–वृद्धि की यह शर्त तभी लागू होगी जब इसका अनुमोदन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा कर दिया जाए।

12. ठेके की कालावधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही/चूक/त्रुटि या अन्यथा कारण से विश्वविद्यालय को हुई हानि या अधिरोपित जुर्माने की राशि को प्रतिभूति राशि में से समायोजित किया जा सकेगा। ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

13. ऐसे निविदाकर्त्ता जिनकी निविदाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह में लौटाई जा सकेंगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. **केवल वही निविदाकार निविदा करने हेतु अर्हकारी/पात्र होंगे जो इस निविदा में उल्लेखित आवश्यक अर्हताएं/पात्रताएं रखते हैं। उन्हें अपनी पात्रता से संबंधित समस्त दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अनअर्ह/अयोग्य पाए जाने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी एवं उनकी वित्तीय निविदा को नहीं खोला जाएगा।**

15. निविदा खोलते समय निविदाकार या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा।

16. मेस संचालन हेतु ठेकेदार को पृथक–पृथक छात्रावासों में (छात्र एवं छात्रा छात्रावासों में) उपयुक्त संख्या में कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

17. मेस ठेकेदार स्वयं के व्यय से अपने कर्मचारियों/खानसामों को स्वच्छ, निर्धारित यूनिफार्म, परिचय–पत्र अनिवार्यतः प्रदान करेगा।

18. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

19. मेस की रसोई तथा मेस के डायनिंग हॉल में स्वच्छता बनाए रखने तथा कीट–पतंगों इत्यादि को रोकने के लिए किए जाने वाले समस्त उपायों का उत्तरदायित्व मेस ठेकेदार का होगा।

20. मेस ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर मेस में विद्युत व्यवस्था हेतु सब–मीटर लगवाएगा एवं उसके आधार पर विद्युत व्यय का भुगतान करेगा। अथवा विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित विद्युत व्यय का प्रतिमाह भुगतान करेगा।

21. मेस ठेकेदार को मेस में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र रखने होंगे तथा इन उपकरणों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाएगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण भी करना होगा ताकि आगजनी घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके। ऐसा न कर सकने की स्थिति में आग इत्यादि या किसी भी दुर्घटना से कारित होने वाली हानि का पूर्ण दायित्व मेस ठेकेदार का होगा एवं उसकी क्षतिपूर्ति मेस ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

22. मेस ठेकेदार द्वारा मेस संचालन हेतु स्वयं का तथा समय–समय पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों/खानसामों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सूचिबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ करते समय तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपेगा एवं उसकी पावती लेगा।

23. छात्र–छात्राओं को मेस में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व मेस ठेकेदार का होगा।

24. विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा समय–समय पर मेस का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री का संधारण/विक्रय किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वविवेक से ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर ठेका निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात (जप्त) की जाएगी।

25. मेस ठेकेदार को विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर निर्धारित/प्रदान किये गये मीनू के अनुसार भोजन इत्यादि प्रदान करना होगा।

26. मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्ते इस निविदा में दी गई हैं।

27. मेस ठेकेदार को मेस में एक शिकायत पंजी तथा साप्ताहिक कार्य निष्पादन पंजी रखनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मेस ठेकेदार के देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

28. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान भी मेस ठेकेदार निर्धारित मीनू में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।

29. यदि कोई छात्र–छात्रा चार दिन से अधिक समय के लिए छात्रावास से अनुपस्थित रहता/रहती है तो उसे अनुपस्थिति की अवधि की पूर्व लिखित सूचना मेस ठेकेदार एवं विश्वविद्यालय को दी जाएगी ताकि मेस ठेकेदार के भुगतान की कार्यवाही के समय इस आधार पर अनुपस्थिति अवधि के प्रति देयकों से आवश्यक कटौती की जा सके।

30. विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए मेस ठेकेदार द्वारा चाय, नाश्ते, भोजन की इत्यादि व्यवस्था आदेशानुसार करनी होगी तथा इसके लिए मेस ठेकेदार को पृथक से भुगतान किया जाएगा।

31. **विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) में समय–समय पर आने वाले अतिथियों के भोजन एवं सत्कार व्यवस्था विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार मेस ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी।**

32. मेस की व्यवस्था, रखरखाव एवं संचालन आदि के सिलसिले में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासनहीनता ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों में पायी जाती है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्व–विवेक से ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती अथवा अयोग्य घोषित कर ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

33. आयकर अधिनियम तथा आयकर विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक भुगतान पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी । इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों के अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत निर्धारित कटौतियां भी देयकों से की जाएंगी।

34. केन्द्र/राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2017 से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) संपूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाना प्रस्तावित है एवं यदि शासन की अधिसूचना अनुसार यदि इस सेवा पर भी जी.एस.टी. लागू होता है तो निविदाकार/ठेकेदार जी.एस.टी. में तत्काल अपना पंजीयन करवाएगा एवं जी.एस.टी. पंजीयन से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं समय–समय पर जी.एस.टी. अदा करने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों/रिटर्न्स/चालानों की प्रतियां विश्वविद्यालय को अभिलेखों हेतु जमा करने के लिए बाध्य होगा।

35. निविदा के संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन से चर्चा–सिफारिश करने या दबाव–प्रभाव का प्रयोग किए जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

<u>निविदा करने हेतु आवश्यक अर्हताएं/पात्रता</u>

जो निविदाकार विश्वविद्यालय में मेस संचालन हेतु निविदा करने के इच्छुक हैं उन्हें निम्नलिखित अर्हताएं/पात्रताएं होना अनिवार्य है एवं इनसे संबंधित समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैः–

1. पूर्व में 5 वर्ष अथवा विगत 3 वर्षो से निरंतर शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों (जिसमें छात्र–छात्राओं की प्रत्येक संस्थान में संख्या कम–से–कम 800 हो) में केटरिंग एवं मेस का उत्तम ढंग से संचालन करने का अनुभव हो एवं इसके समर्थ में संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया संतोषजनक एवं अनुभव प्रमाणपत्र।
2. ऐसे निविदाकार जिन्हें केवल कैफेटेरिया (नाश्ता एवं कोल्डड्रिंक इत्यादि प्रदाय) संचालन करने का अनुभव है उनकी निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
3. निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की अंकेक्षित बैलेंस शीट (तुलन पत्र) जिसमें संस्थागत केटरिंग एवं मेस संचालन सेवाओं से प्रतिवर्ष न्यूनतम दो करोड़ का टर्न–ओवर हो, आय–व्यय पत्रक।
4. निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां।
5. निविदाकार को उसके पक्ष में इस कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, निकाय पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
6. निविदाकार को उसके पक्ष में फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का छत्तीसगढ़ राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी जीवित लायसेंस।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर

मेस संचालन हेतु नियम एवं शर्ते

1. मेस निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में जमा रू.5,00,000/– (रू. पॉच लाख मात्र) सफल निविदाकार को ठेका समाप्ति पर समुचित कटौती/समायोजन, यदि कोई हो पश्चात ही लौटाया जा सकेगा।
2. मेस ठेकेदार को भोजन तैयार करने तथा परोसने हेतु बर्तन, गैस–स्टोव एवं सिलेण्डर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ठेकेदार भोजन तैयार करने हेतु कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल करेगा। मेस–केंटीन में भोजन–नाश्ता तैयार करने में उपयोग की गई बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार को हर माह नियमित रूप से करना होगा।
3. मेस ठेकेदार को नाश्ता तथा भोजन वितरण हेतु आवश्यक बर्तनों (स्टेनलेस स्टील/उत्तम क्वालिटी के फाइबर) की व्यवस्था करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में यदि भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होगी तो तत्संबंधी लिखित कार्यादेशानुसार व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी जिसका पृथक से भुगतान लिखित कार्यादेशानुसार ही किया जाएगा ।
5. ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा जारी अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. मेस में कार्यरत सभी कर्मचारियों को चर्म रोग तथा दमा–श्वास, टी.बी. आदि बीमारियों तथा किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस आशय का सक्षम डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र (जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो) प्रथम बार ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ करने के पूर्व पेश करना होगा। इसके बाद प्रत्येक 6 माह में पेश करना होगा।
7. बीमार कर्मचारियों से भोज्य सामग्री तैयार कराने या परोसने का काम नहीं लिया जाएगा। भोजन सामग्री तैयार करने तथा परोसने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनना आवश्यक होगा।
8. मेस ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी/कर्मचारियों को कार्य करते समय या उसके पश्चात् किसी प्रकार की क्षति, नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी एवं क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी पूर्णतः ठेकेदार ही होगा।
9. यदि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी स्तर पर लगता है कि मेस संचालन का कार्य निविदाकार द्वारा निविदा में झूठे/भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय उस निविदाकार का

अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दे एवं इस कृत्य हेतु स्वविवेक से निविदाकार पर दण्ड अधिरोपित करे।

10. मेस ठेकेदार अपने कर्मचारियों के रहने, खाने–पीने की पूर्ण व्यवस्था स्वयं करेगा। यदि उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें किसी प्रकार की निवास व्यवस्था प्रदान करता है तो उसका किराया, विद्युत एवं अन्य व्यय मेस ठेकेदार के मासिक देयकों से कटौती करेगा। इन कटौतियों की राशि/दर का निर्धारण पूर्णतः विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा जिसे मेस ठेकेदार देने हेतु बाध्य होगा।

11. जिस निविदाकार के पक्ष में कार्यादेश जारी किया जाता है उसे ही मेस संचालन का कार्य करना होगा एवं यह कार्य अहस्तांतरणीय होगा।

12. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से प्रत्येक सेमेस्टर आरंभ होने के समय पूरे सेमेस्टर के दौरान भोजन/नाश्ता का भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त करेगा तथा मेस ठेकेदार उसके द्वारा प्रदाय किये गये भोजन के मासिक देयक प्रत्येक माह भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकेगा जिसका भुगतान सत्यापन के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।

13. भोजन हाल में वॉश बेसिन में हाथ धोने हेतु समुचित साबुन/लिक्विड का प्रबंध एवं साफ–सफाई मेस ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।

14. प्रत्येक बार के नाश्ते एवं भोजन के बाद मेस किचन, डायनिंग हॉल तथा मेस के आस–पास साफ–सफाई सुनिश्चित करने का दायित्व मेस ठेकेदार का होगा। मेस ठेकेदार द्वारा बची हुई खाद्य सामग्री नालियों इत्यादि में नहीं बहाया जाएगा। मेस से होने वाले कचरे/बची हुई खाद्य सामग्री को कैम्पस से बाहर निस्तारण की जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी। यदि विश्वविद्यालय इस संबंध में कोई व्यवस्था करता है तो इस हेतु किये गये व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी अथवा इस राशि की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा उसके देयकों से की जाएगी।

15. मेस ठेकेदार तथा कार्यरत कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों का मेस में प्रवेश वर्जित होगा। विश्वविद्यालय परिसर में ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान करना या किसी भी प्रकार का नशा करना या नशे की हालत में काम करना या नशीली वस्तु रखना या प्राप्त करना या प्रदान करना वर्जित होगा।

16. छात्र भोजन समिति द्वारा समय–समय पर किए गए भोजन की गुणवत्ता के मूल्यांकन रिपोर्ट को भुगतान करते समय विचार में रखा जावेगा।

17. मेस के संबंध में कोई भी विवाद होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। मेस के सुचारू ढंग से संचालन हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों का ठेकेदार द्वारा पालन करना आवश्यक होगा।

18. उपर्युक्त समस्त शर्तो तथा भोजन सामग्री तैयार करने तथा प्रदाय करने संबंधी शर्तों के पालन करने की सहमति हेतु निविदा प्रपत्र के नीचे अपना नाम, पता एवं हस्ताक्षर कर सहमति लिखना होगा एवं निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा।

19. पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रदाय करना होगा। मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

20. मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन बनाने हेतु पृथक–पृथक व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

21. नाश्ता एवं भोजन का समय विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार होगा ।

22. मेस संचालन के दौरान प्रदान किये जाने वाले मेन्यू, गुणवत्ता एवं भोजन पकाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों का ब्रांड इस निविदा के साथ (संलग्नक–1 एवं संलग्नक–2) संलग्न हैं जिनका अनुपालन करना निविदाकार के लिए अनिवार्य होगा। इसी आधार पर निविदाकार को निविदा में अपनी मूल्य दर सूची अंकित करना होगा। खाने के मीनू, गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी प्रकार का समझौता/कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा की दर निविदा में उल्लेखित मेन्यू एवं भोजन तैयार करने हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के ब्राण्ड के अनुरूप व्यावहारिक होनी चाहिए। निविदा की दर निविदा समिति की दृष्टि में अव्यावहारिक होने पर अस्वीकार की जा सकती है।

23. समय–समय पर आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के मीनू में यथोचित/समतुल्य परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा एवं इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकार को पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

24. किसी भी व्रत के अवसर पर दस या इससे अधिक छात्र–छात्राओं के उपवास रखने पर फलाहार की व्यवस्था मेस संचालक को विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार करनी होगी।

25. छात्रावास में यदि एक भी विद्यार्थी है तब भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी ।

26. एक या अनेक विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने पर डाक्टर/वार्डन के निर्देशानुसार खिचड़ी या स्वास्थ्य अनुकूल भोजन प्रदाय करना होगा ।

27. विद्युत प्रदाय अवरूद्ध होने तथा पानी प्रदाय व्यवस्था में रूकावट होने पर मेस ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर खाद्य सामग्री एवं पानी की समुचित व्यवस्था स्वयं कर भोजन तैयार करना होगा। साथ ही छात्र–छात्राओं तथा अन्य हेतु स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी मेस ठेकेदार को सुनिश्चित करनी होगी।

28. किचन व डायनिंग हाल की सफाई व खाना बनाने व परोसने में साफ–सफाई एवं उपयोग किये बर्तनों को उठाने एवं सफाई करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी ।

29. हर वर्ष दिसंबर में किचन एवं डायनिंग हाल की पुताई (डिस्टेम्पर से) मेस ठेकेदार द्वारा करायी जाएगी।

30. विश्वविद्यालय प्रबंधन की अनुमति के बगैर बाहरी व्यक्ति को मेस / केंटिन से भोजन या टिफिन प्रदाय करना पूर्णतः वर्जित है । अनुमति से प्रदाय किये गये भोजन/ नाश्ता का भुगतान निर्धारित दर से संबंधित द्वारा सीधे ठेकेदार को किया जायेगा ।

31. समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा गठित विशेष दल द्वारा भोज्य सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा । अगर गुणवत्ता में कोई कमी मिलती है या व्यवस्था असंतोषजनक पायी जाती है या अन्य पर्याप्त कारण है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समुचित आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, अथवा मेस/केन्टीन ठेका समय से पूर्व समाप्त किया जा सकेगा ।

32. यदि कोई छात्र–छात्रा चार दिन से अधिक समय के लिए छात्रावास से अनुपस्थित रहता/रहती है तो उसे अनुपस्थिति की अवधि की पूर्व लिखित सूचना मेस ठेकेदार एवं विश्वविद्यालय को दी जाएगी ताकि मेस ठेकेदार के भुगतान की कार्यवाही के समय इस आधार पर अनुपस्थिति अवधि के प्रति देयकों से आवश्यक कटौती की जा सके।

.

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

Annexure - I

MENU

DAYS	BREAKFAST	LUNCH	EVENING SNACKS	DINNER
MONDAY	Aloo Paratha + Curd + Ketchup + Tea	Rajma + Seasonal Veg. + Veg. Raita + Jeera Rice + Roti, Pickle + Laccha Pyaaz	Poha + Jalebi + Milk	Masala Bhindi + Dal Fry + Papad + Roti + Rice + Pickle + Laccha Pyaaz
TUESDAY	Puri + Aloo Gravy + Fruit Salad (one portion) + Tea	Aloo Mater + Dal + Boondi Raita + Roti + Salad + Pickle	Bhel Puri + Nimbu Pani	Mix Veg. + Dal Tadka + Roti + Rice + Salad + Pickle + Gulabjamun/Kheer
WEDNESDAY	Sambhar Vada + Coconut Chutney + Tea/Coffee	Pindi Chole + Seasonal Veg. + Veg. Raita + Hydearabadi Rice + Roti + Pickle + Laccha Pyaaz	Samosa + Chutney + Rasna	Veg. Panner Biryani + Chicken Biryani + Aloo Tamater + Raita + Roti + Pickle + Laccha Pyaaz
THURSDAY	Upma + Coconut Chutney + Coffee	Lauki Kofta + Dal Fry + Boondi Raita + Jeera Rice + Roti + Salad + Pickle	Mayonnaise Sandwich (3 pieces) + Nimbu Pani + Banana (one piece)	Seasonal Veg. + Dal Fry + Roti + Rice + Ice-cream + Pickle + Laccha Pyaaz + Salad
FRIDAY	Idli + Sambhar + Coconut Chutney + Tea/Coffee	Pokoda Kadhi + Fried Aloo + Roti + Rice + Pickle + Laccha Pyaaz	Chowmein + Jaljeera	Egg. Curry + Kadhai Panner + Dal Tadka + Rice + Roti + Pickle + Lachha Pyaaz
SATURDAY	Veg. Sandwich + Bread Butter + Jam + Omelette + Banana (2pieces) + Milk	Gobhi Masala + Dal Tadka + Veg. Pulav + Roti + Pickle + Salad + Laccha Pyaaz	French Fries + Rasna	Chole + Seasonal Veg. + Jeera Rice + Pratha/Puri + Pickle + Laccha Pyaaz + Salad + Fruit Custard
SUNDAY	**BRUNCH** Masala Dosa + Uttappam + Sambhar + Coconut Chutney + Schezwan Sauce + Tea		Aloo Tikki + Chhat + Masala Tea	Butter Chicken + Matar Paneer + Dal Fry + Jeera Rice + Roti + Pickle + Laccha Pyaaz

Annexure - II

BRANDS

S.No.	Name of the Items	Brands
1	Salt	Tata/ Annapurna/ Nature Fresh
2	Spices	MDH/ Everest/ Catch & Nilons
3	Chicken	Poultry Chicken
4	Ketchup	Maggi/ Kissan/ Tops
5	Oil	Sundrop/ Saffola/ Fortune/ Dhara/ Ruchi
6	Pickle	Priya or Nilons
7	Atta	Ashirvad/ Annapurna/ Pillsbury
8	Instant Noodles	Maggi
9	Flavored Fruit Drink	Rasna/ Roohafza
10	Papad	Lijjat/ Haldiram/ Nilons
11	Butter	Amul/ Nutralite/ Mother Dairy
12	Bread	Modern/ Nice/ A-1
13	Cornflakes	Kellog's/ Mohan/ Heritage
14	Jam	Kissan/ Maggi/ Tops
15	Milk	Amul/ Devbhog/ Dinshaw
16	Paneer	Dairy Fresh
17	Tea	Brook Bond/ Lipton/ Tata/ Taaza
18	Coffee	Nescafe/ Brookbond
19	Dal	Medium & Small
20	Ice-Cream	Amul/ Devbhog/ Dinshaw
21	Rice	Dubraj/ Java Phol/ HMT

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर

शैक्षणिक सत्र 2017–18

तकनीकी निविदा

01. मेस ठेका लेने वाले का नाम : ....

एवं उम्र : ....

पिता का नाम : ....

स्थायी पता : ....

....

....

दूरभाष क्रमांक /फैक्स नंबर : ....

(एस.टी.डी. कोड सहित)/ई–मेल ....

....

02. शैक्षणिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में मेस ठेका चलाने के आवश्यक अनुभव का विवरण। पूर्व में 5 वर्ष अथवा विगत 3 वर्षो से निरंतर शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों (जिसमें छात्र–छात्राओं की प्रत्येक संस्थान में कुल संख्या कम–से–कम 800 हो) में मेस का उत्तम ढंग से संचालन करने का संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र (निविदा के साथ) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

शैक्षणिक संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	अवधि		दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी. कोड सहित
	कब से	कब तक	

06. निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु पेश कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट राशि रु.5000/– (रुपये पांच हजार मात्र) का नंबर .... दिनांक .... जारीकर्ता बैंक ....

07. निविदा के साथ संलग्न कुलसचिव हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर को देय रुपए 5,00,000/– (रू. पॉच लाख मात्र) अमानत जमा के प्रति का रेखांकित बैक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....

08. अन्य (यदि आप कोई जानकारी देना चाहे) : ....

....

09. संलग्न किये गए दस्तावेजों की चेक–लिस्टः–

1. पूर्व में 5 वर्ष अथवा विगत 3 वर्षो से निरंतर शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों (जिसमें छात्र–छात्राओं की प्रत्येक संस्थान में संख्या कम–से–कम 800 हो) में केटरिंग एवं मेस का उत्तम ढंग से संचालन करने का अनुभव हो एवं इसके समर्थ में संबंधित संस्था द्वारा जारी किया गया संतोषजनक एवं अनुभव प्रमाणपत्र।
2. निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की अंकेक्षित बैलेंस शीट (तुलन पत्र) जिसमें संस्थागत केटरिंग एवं मेस संचालन सेवाओं से प्रतिवर्ष न्यूनतम दो करोड़ का टर्न–ओवर हो, आय–व्यय पत्रक।
3. निविदाकार का पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के आयकर रिटर्न की प्रतियां।
4. निविदाकार को उसके पक्ष में इस कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, निकाय पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. निविदाकार को उसके पक्ष में फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का छत्तीसगढ़ राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी जीवित लायसेंस।

घोषणा –पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र की उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लिखित समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है। अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर अथवा वांछित दस्तावेजों जमा नहीं करने की स्थिति में अथवा उनमें किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर मेरी निविदा निरस्त योग्य होगी।

नया रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित छात्र एवं छात्राओं के पृथक–पृथक छात्रावासों में लगभग 950 विद्यार्थियों एवं 50 अन्य कुल लगभग 1000 लोगों को प्रतिदिन प्रातः कालीन एवं संध्याकालीन नाश्ता तथा दो समय का भोजन प्रदाय करने के संबंध में मैंने मेस संचालन तथा भोजन सामग्री तैयार करने एवं प्रदाय करने से संबंधित नियमों एवं शर्तों को गंभीरतापूर्वक पढ़कर/पढ़ाकर समझ लिया है तथा मुझे समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं ।

स्थान : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम ....

<u>हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर</u>

<u>वित्तीय निविदा</u>

<u>शैक्षणिक सत्र 2017–18</u>

निविदाकार को इस वित्तीय निविदा में उल्लेखित सभी आयटमों हेतु दर उल्लेखित करना अनिवार्य है (अंकों एवं शब्दों में उल्लेखित करना)। इसका अनुपालन नहीं करने पर निविदा को अधूरा मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। अंकों एवं शब्दों में दी गई दरों में अंतर पाए जाने पर शब्दों में दी गई दर के आधार पर निविदा का परीक्षण किया जाएगा।

01. मेस ठेका लेने वाले का नाम : ....

02 प्रति व्यक्ति सुबह एवं शाम का नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन की कुल मासिक दर क्या होगी । : (अंकों में) ....

(शब्दों में) ....

(निविदा के नियमों, शर्तो एवं संलग्नकों के अनुरूप)

03. <u>खुदरा दर</u> :

	वस्तु	दर (अंकों में)	(शब्दों में)
i.	चाय (प्रति कप 150 मि.ली.)	....	....
ii.	काफी (प्रति कप 150 मि.ली.)	....	....
<u>प्रतिव्यक्ति</u>			
iii.	सुबह का नाश्ता (वजन 200 ग्राम) (बिना चाय / काफी)	....	....
iv.	शाम का नाश्ता (वजन 200 ग्राम) (बिना चाय / काफी)	....	....
v.	दोपहर का भोजन (लंच)	....	....
vi.	रात्रि भोजन (डिनर)	....	....
vii.	फीस्ट / नानवेज भोजन	....	....

स्थान : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम ....